असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 नवम्बर, 2019

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 25 नवंबर, 2019 ई0

चतुर्दश सत्र — 04 अग्रहायण, 1941, (शक)

कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । अल्पसूचित प्रश्न संख्या-01, श्री भोला यादव ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाकर बोलिये । माननीय सदस्य श्री अवधेश बाबू, मैंने देखा है कि आपके दल के माननीय सदस्य श्री सदानन्द बाबू और आप सबों ने कार्य-स्थगन इस संबंध में दिया है । अगर कार्य स्थगन के समय में इस मामले को उठायेंगे तो मैं सरकार से इस पर वक्तव्य देने को भी कहूंगा । लेकिन आप समय पर उठायेंगे तब तो । अभी तो प्रश्नोत्तर काल है ।

(व्यवधान जारी)

अगर आप समय पर उठायेंगे, अगर माननीय विधायक का मामला है तो मैं सरकार को वक्तव्य देने को कहूंगा । अभी इसको उठाने का तो कोई मतलब नहीं है । अभी इसको उठाने से क्या है ?

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य भोला बाबू, आपने तो प्रश्न पूछा है, आप कहां वेल में चले गये ? आपने तो प्रश्न पूछा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश बाबू पुराने सदस्य हैं, मोस्ट सीनियर मेम्बर हैं, स्थान पर तो जांय और अपनी बात को रखें कि क्या कहना चाहते हैं ? लेकिन अपने स्थान पर जाते ही नहीं है और नेता, विरोधी दल को खड़ा कर दिये हैं और बाकी मेम्बर्स को वेल में भेज दिये हैं । सभी माननीय सदस्य पहले अपने-अपने स्थान पर जांय । अवधेश बाबू जो कहना चाहते हैं, अपनी जगह पर जाकर कहें कि क्या बात है ? आसन से कहा जा रहा है, कम से कम उसको तो ध्यान में रखिये । कुछ नियमों का पालन भी तो कीजिये ।

नियम का भी पालन कीजिये, अपनी जगह पर जाईये, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कोई शांत रहें तब तो सुनें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विपक्षी दलों का कर्त्तव्य है कि जनता की समस्याओं को सरकार के सामने लायें । चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो । कल जिस प्रकार से जन समस्याओं को कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर उठाने का काम किया लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस प्रकार का सरकार का रवैया रहा, जिस प्रकार से विपक्ष के लोग या कोई भी कर्मचारी अपनी आवाज को उठाने का काम करता है तो सरकार उसको लाठी, डंडे से मारने का काम करती है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है कि जिस प्रकार से कल एक घटना हुई, जिसमें कई विधायकों एवं माननीय सदस्य श्री रामदेव जी को भी पीटा गया इसकी हम घोर निन्दा करते हैं और यह चाहते हैं । एक मिनट, एक मिनट ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है । हाउस नियमावली से चलता है । नेता, विरोधी दल सभी माननीय सदस्यों को वेल में रखेंगे और भाषण देंगे महोदय ? क्या यही सदन की नियमावली है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, सदन को चलाया जाय, जो बात कहना चाहते हैं कांग्रेस के माननीय सदस्य.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : एक मिनट । अगर किसी माननीय विधायक को चोट लगी है तो इसकी गंभीरता को देखते हुये हमने आसन की तरफ से अनुरोध किया कि अगर इस विषय को समय पर उठाया जाता है तो मैं सरकार से इस पर वक्तव्य के लिये कहूंगा लेकिन असमय उठाने से उसका तो कोई महत्व नहीं होता है । अभी उठाकर उसके महत्व को बढ़ा नहीं रहे हैं । समय पर उठाईयेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कोई भी अगर धरना प्रदर्शन होता है, मेमोरेन्डम देने का उनको अधिकार है । कल कांग्रेस के नेताओं को कहा गया कि आईये, राज्यपाल आवास चलिये, मेमोरेन्डम दिलवाते हैं और सीधे कोतवाली में बंद कर दिया गया ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल चलने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : महोदय, इस तरह का बर्ताव आज तक किसी की सरकार ने नहीं किया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अवधेश बाबू, आप क्या चाहते हैं ? आप चाहते क्या हैं ?

(व्यवधान जारी)

हम तो कह ही रहे हैं कि समय पर उठाईयेगा, सरकार को हम कहेंगे वक्तव्य देने के लिये । लेकिन असमय उठाने से आसन भी मजबूर है । अगर कोई बात नियम के विपरीत असमय उठायी जाती है तो आसन की भी मजबूरी है, आसन भी नियम से चलता है । अब आप प्रश्नोत्तर काल को चलने दीजिये । माननीय सदस्य श्री भोला बाबू ने प्रश्न पूछा है ।

भोला बाबू, आप अपनी जगह पर जाईये । हम प्रश्न लेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री सामने बैठे हैं । महोदय, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि रात के अंधेरे में अच्छे काम होते हैं । यह रात के अंधेरेवाली जो सरकार है, हमलोग यहां दिन में बैठ करके विधान सभा चला रहे हैं यानी यह बेकार का काम है ? तो सरकार के लोग यहां बैठे हैं, माफी मांगे महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नेता,प्रति पक्ष । मामले को बिहार से महाराष्ट्र कहां पहुंचा रहे हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता,विरोधी दल : महोदय, यहां भी तो रात में ही खेल हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अवधेश बाबू, जगह पर जाईये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर जांय और समय पर सवाल को उठायें और जो सवाल उठायेंगे, सरकार उसका जवाब देगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या कह रहे हैं, माननीय मंत्री संसदीय कार्य ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जांय और जो सवाल माननीय सदस्य उठायेंगे, सरकार उस सवाल का जवाब देगी ।

(व्यवधान जारी)

आसन का नियमन सर्वोपरि है और आसन के नियमन के बाद भी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर नहीं जा रहे हैं । हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। महोदय, इनको नियम और नियमावली से कोई मतलब नहीं है और न तो ये समस्या का हल चाहते हैं । मैं पुनः एक बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह

करना चाहता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जांय और अपनी बात को रखें । सरकार इसका जवाब देगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन चलने दीजिये । लाठी, गोली कहां चला रहे हैं ? सदन चलने दीजिये न ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही ... । आप से फिर कहते हैं कि कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण सवाल है, राज्य की जनता के हित का सवाल है और विपक्ष के नेता को राज्य की जनता का हित नहीं झलकता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/अंजनी/25.11.2019

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय-कार्य ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

अध्यक्ष : कार्य स्थगन के समय तो कार्य स्थगित था ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कार्य स्थगन पर कोई विचार नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

वित्तीय-कार्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अधिकाई-व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में उपबंध के माध्यम से लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप जो कहना चाहते थे, वह कह चुके, अब क्या कह रहे हैं ?

आप जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, कहकर बैठ जाइए ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

(व्यवधान जारी)

श्री सुशील कुमारी मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"वित्तीय वर्ष 1982-83 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-02 पर अंकित मांग संख्या-22 डेयरी विकास के संबंध में वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 98,49,223/-(अंठानवे लाख उनचास हजार दो सौ तेईस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।"

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"वित्तीय वर्ष 1982-83 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-02 पर अंकित मांग संख्या-22 डेयरी विकास के संबंध में वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 98,49,223/-(अंठानवे लाख उनचास हजार दो सौ तेईस) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"वित्तीय वर्ष 2004-05 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-03 पर अंकित मांग संख्या-21 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 5,54,17,217/-(पांच करोड़ चौवन लाख सतरह हजार दो सौ सतरह) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।"

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"वित्तीय वर्ष 2004-05 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-03 पर अंकित मांग संख्या-21 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 5,54,17,217/-(पांच करोड़ चौवन लाख सतरह हजार दो सौ सतरह) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"वित्तीय वर्ष 2004-05 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या-20 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 2,64,875/-(दो

लाख चौंसठ हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।"

यह लोक लेखा समिति द्वारा यथा समर्थित है ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"वित्तीय वर्ष 2004-05 के अधिकाई-व्यय विवरण के पृष्ठ-04 पर अंकित मांग संख्या-20 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बिहार विनियोग अधिनियमों के उपबंधों से यथार्थत: अधिक किये गये व्यय के विनियमन के लिए 2,64,875/-(दो लाख चौंसठ हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये के अधिकाई अनुदान की राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

विधायी-कार्य

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विनियोग अधिकाई-व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय(1982-83 एवं 2004-05)(संख्या-2) विधेयक,2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विनियोग अधिकाई-व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक,2019 पर विचार हो।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विनियोग अधिकाई-व्यय (1982-83 एवं 2004-05)(संख्या-2) विधेयक,2019 पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

(व्यवधान जारी)

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

" खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

इस विधेयक के दोनों खंडों से संबंधित कुल 3(तीन) अनुसूचियां हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"अनुसूचियां इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचियां इस विधेयक की अंग बनीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

" खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग बैठिए न ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विनियोग अधिकाई-व्यय (1982-83 एवं 2004-05)(संख्या-2) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, 22 नवम्बर,2019 को बिहार विधान सभा में वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं 2004-05 के अधिकाई व्यय का विवरण उपस्थापित किया गया है। महोदय, अधिकाई-व्यय के विवरण से संबंधित बिहार विनियोग अधिकाई-व्यय विधेयक,2019 विधान सभा में उपस्थापित किया गया है और उसपर विचार कर पारित करना प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह ज्ञात है कि किसी भी विभाग के अंतर्गत कोई भी राशि बिना सदन की स्वीकृति की व्यय नहीं की जा सकती है और अगर किसी विभाग में अगर कोई राशि स्वीकृति के अतिरिक्त खर्च की जाती है तो उसको विनियमित करने की एक प्रकिया है और भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक से जो वित्त लेखे, विनियोग लेखे और अन्य प्रतिवेदन महामहिम की अनुशंसा पर उपस्थापित किये जाते हैं, उपस्थापन के बाद यह सारा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को विचारार्थ दे दिया जाता है और जब लोक लेखा समिति अनुशंसा करती है कि इस अधिकाई-व्यय को विनियमन का प्रस्ताव दिया जाता है, तब सदन उसको विनयमित करने का काम करती है । लोक लेखा समिति ने अपने विभिन्न बैठकों में प्रतिवेदन संख्या-689, 690 और 691 में अधिकाई-व्यय के विनियमन की अनुशंसा की है । लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 1982-83 से 2005 तक के कुल अधिकाई-व्यय में से 06 करोड़ 55 लाख रूपये के विनियमन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च,2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016-17 का जो प्रतिवेदन राज्य का वित्त विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक की राशि 1977-78 से 2015-16 के बीच में 807 करोड़ 36 लाख रूपये प्रतिवेदित किया है ।

क्रमशः

टर्न-3/25.11.19/राजेश/

(व्यवधान जारी)

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) यानी अपनी रिपोर्ट में महालेखा नियंत्रक ने यह कहा कि बिहार में 807 करोड़ 36 लाख रुपया एक्सेस विद्ड्रॉवल हुआ है और इसमें से छः करोड़ पचपन लाख रुपये के विनियमन का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 657 करोड़ रुपया, जो पशुपालन

घोटाले से संबंधित है, उसके विनियमन का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो 657 करोड़ रुपया, जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में और जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो एक्सेस विद्ड्रॉवल हुआ है, वह विद्ड्रॉवल की राशि कितनी है ? अध्यक्ष महोदय, यह मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 1990-91 में बजट उपबंध था 54,92,38,207 और व्यय हुआ 84,20,99,989 यानी बजट उपबंध से 29,28,61,782 ज्यादा व्यय हुआ, उसी तरह 1991-92 में बजट उपबंध था 59,10,24,144 और खर्च हुआ 1,29,82,29,030 यानी 70,72,04,886 अधिक व्यय हुआ, 1992-93 में बजट उपबंध था 66,93,35,120 और व्यय हुआ 1,54,70,62,755 यानी 87,77,27,635 रुपया पशुपालन विभाग से ज्यादा पैसा निकालकर खर्च किया गया, 1993-94 में बजट उपबंध था 74,14,36,274 और खर्च हुआ 1,99,17,09,330 तो 1,25,02,73,056 रूपया खजाने से ज्यादा निकालकर खर्च कर दिया गया और 1994-95 में बजट उपबंध था 74,40,19,000 और खर्च किया गया 2,45,00,87,251 यानी 1,70,60,68,251 रुपया ज्यादा खर्च किया गया और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के 1990 से 1995 के कार्यकाल में पशुपालन विभाग से जो 657.98 करोड़ रुपये का एक्सेस विदड्रॉवल हुआ और उसी को पशुपालन घोटाला/चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि 959 भेड़, 5664 सुअर, 40504 मुर्गी, 1577 बकरी के लिए छः जिलों में 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध 253 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद की गयी, उसी प्रकार पशुचारा में पक्का पीला मक्का केवल 10 परसेंट मिलाया जाता है लेकिन तीन वर्षों में केवल छः जिलों में आवश्यकता से 115 गुणा अधिक 154 करोड़ रुपये का पीला मक्का फर्जी खरीदकर निकाल लिया गया, अध्यक्ष महोदय, बादाम की खल्ली संयुक्त आहार में 15 परसेंट होता है परन्तु 33 परसेंट ज्यादा जिसकी कीमत 72 करोड़ रुपये होती है, वह खरीदा हुआ दिखा दिया गया । अध्यक्ष महोदय, मुख्यालय से पंचायत तक पशुओं को पहुंचाने के लिए ट्रान्सपोर्टरों ने ट्रान्सपोर्ट का जो फर्जी बिल बनाया उसमें ट्रैक्टर, पुलिस वैन, बस, तेल टैंकर, स्कूटर एवं ऑटोरिक्शा से ढुलाई दिखाकर करोड़ों रुपये के भुगतान को प्राप्त कर लिया गया और अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि भैंस के सींग में तेल लगाने के लिए 15 लाख रुपये का 49,950 किलो सरसों का तेल खरीद लिया गया और अध्यक्ष महोदय, यही 657 करोड़ रुपये हैं जो एक्सेस विदड्रॉल हुआ और जिसके कारण लालू जी आज जेल में बंद हैं और यही यह पशुपालन घोटाले की राशि है

जिसको आज तक रेगुलराईज नहीं किया जा सका है, हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इसकी अनुमति प्रदान करें ताकि 657 करोड़ रुपया और विनियमित करने की अनुमति प्राप्त हो सके । अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने का काम करे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019" स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1982-83 एवं 2004-05) (संख्या-2) विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 नवंबर, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-22 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 26 नवंबर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।